दिनांक–13.10.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सारण जिले के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   - श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   - श्री नजर हुसैन, विशेष सचिव
   - श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   - मो0 वसीम अहमद, अपर सचिव
   - श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   - श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, उप सचिव

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:–

I. Audit:--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सारण जिले द्वारा कुल 17 योजनाओ में से 11 का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराया गया है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर शेष सभी योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लोक लेखा समिति की वर्ष 2015–16 की 05, 2018–19 की 01, 2019–20 की 01 एवं 2020–21 की 02 कंडिका लंबित है। निदेश दिया गया कि लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन भी एक सप्ताह के भीतर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

II. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, 12वॉ वित्त आयोग, 14वॉ वित्त आयोग, 13वॉ वित्त आयोग एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र/सचिव के मानदेय एवं किराया उपस्कर से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। निदेश दिया गया कि DDC अपने अध्यक्षता में प्रखंड के नाजिर, BDO एवं बड़ा बाबू के साथ बैठक आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(ख) Post CFMS Period में कुल 345.03 करोड़ रूपये की UC लंबित है, जिसमें से षष्ठम राज्य वित्त आयोग, 15वॉ वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, प्रतिनिधि

भत्ता, ग्राम कचहरी न्यायमित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव की नियत फीस एवं एम0एन0वाई0(पेयजल) की UC सर्वाधीक लंबित है। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

III. RGSA- लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सारण जिले में Allotment No. 16(AA) दिनांक– 19.07.2026 द्वारा DDC कार्यालय को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध करायी राशि से संबंधित लगभग 06.99 लाख रूपये की UC लंबित है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर UC तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. RGSA Capacity building & Training--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 6472 लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 1482 प्रतिभागी द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है जिसमे से 1218 लोगो का ही प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)

V. मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 1104 प्राप्त मामलों के विरूद्ध 1061 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 27 मामले लंबित है। इस संबंध में DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। यदि योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित योजना को GPDP में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. जन–शिकायत–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 38 मामलों के विरूद्ध 25 मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। DPRO को निदेश दिया गया कि जन–शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलो का गंभीरतापूर्वक जाँच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

VII. निगरानी से संबंधित मामले–

सारण जिले में कुल 06 मामले निगरानी के लंबित है। निदेश दिया गया कि अविलंब सभी मामलो का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VIII. CPGRAM (Central level) की अद्यतन स्थिति–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 15 मामले लंबित है। निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें। यह भी पाया गया कि CPGRAM (Central level) में कई माह से लॉग–इन नहीं किया गया है। निदेश दिया कि सप्ताह में एक बार लॉग–इन कर मामलो का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

IX. पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जुन, जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2026 में क्रमशः कुल 246, 152, 88 एवं 54 Aspiration के विरूद्ध 195, 140, 88 एवं 54 का निष्पादन किया गया है। अगस्त माह में बनियापुर प्रखंड में 26, दिघवारा प्रखंड में 20 एवं ईशुपुर प्रखंड में 13 तथा सितम्बर माह में बनियापुर प्रखंड में 17, दिघवारा प्रखंड में 15, ईशुपुर प्रखंड में 10, मकेर प्रखंड में 10 एवं परसा प्रखंड में 07 आवेदनो का BPRO द्वारा Mapping ही नहीं किया गया है। प्रतीत होता है कि उक्त प्रखंडो के BPRO द्वारा विभागीय कार्यो में रूचि नहीं ली जा रही है। निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंडो के BPRO को विभाग स्तर से स्पष्टीकरण किया जाए। साथ ही दो दिनो के भीतर सभी आवेदनो का Mapping करना सुनिश्चित करें। सभी Aspiration का निष्पादन ससमय किया जाए। सभी BPRO को Aspiration एवं Grievance में अंतर ज्ञात होना चाहिए तथा Aspiration के ससमय निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की होगी।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रशाखा–11)

X. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल निर्मित 103 पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध 95 का हस्तांतरण हो चुका है। बनियापुर, एकमा, जलालपुर, मकेर, मरहौराह एवं तरैया प्रखंड में 01–01 एवं दरियापुर प्रखंड में 02 PSB का हस्तांतरण शेष है। निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंडो के BPRO स्वयं स्थल भ्रमण कर कार्यकारी एजेंसी से समन्वय करते हुए PSB को हस्तांतरित कर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरण हेतु प्रत्येक 15 दिनों में स्मारित करें।

लगातार.....

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 95 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 95 में RTPS केन्द्र, 91 में विद्युत कनेक्शन, 27 में डाकघर, 05 में NOFN एवं 13 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 95 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध मात्र 82 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अतएव BPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में 02 दिनों के भीतर Electricity CA No की Google Sheet में Entry करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के अतिरिक्त अन्य जगहो पर पंचायत कार्यालय संचालित है, उन पंचायत कार्यालयो की जाँच कर Electricity CA No Upadte करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज–1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 34 PSB के विरूद्ध 12 PSB का ही निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 02–02 पंचायतों में प्रथम तल प्लिंथ स्तर एवं प्रथम तल लिंटर स्तर, 03 पंचायतो में प्रथम तल की छत ढलाई एवं 05 पंचायतों में द्वितीय तल की छत ढलाई का ही कार्य किया गया है। 10 पंचायत में PSB का निर्माण कार्य फिनिशिंग स्टेज में है। निदेश दिया गया कि जो पंचाचत सरकार भवन फिनिशिंग स्टेज में है, उसे 15 दिनो के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कराकर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। जिन पंचायतो में PSB निर्माणाधीन है, वहाँ कार्य में तेजी लाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए।

(ग) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 40 पंचायतो में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से 21 का निराकरण हुआ है। 05 पंचायतों में PSB के निर्माण हेतु नयी भूमि प्राप्त हो गयी है। 03 पंचायतों में जमाबंदी रद्दीकरण की प्रक्रिया चल रही है। 06 पंचायतों में चिन्हित स्थल पर 10–15 फीट गड्ढा है। निदेश दिया गया कि संबंधित BPRO ADM कार्यालय से समन्वय कर जमाबंदी रद्दीकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन पंचायतो में चिन्हित स्थल पर 10 फीट से

लगातार.....

अधिक गड्ढा है, उन पंचायतो में निर्माण कार्य ना कर वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 38 स्वीकृत पंचायतों के विरूद्ध 20 पंचायतों में भूमि उपलब्ध है, जिसमें से TA द्वारा सभी 20 का प्राक्कलन तैयार किया गया है। 18 पंचायतो में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से सभी पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतो में PSB निर्माणाधीन है, वहाँ कार्य में तेजी लाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए। उल्लेखनीय है कि PSB का निर्माण कार्य BPRO की Sole Resposibility है। जिन पंचायतों में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XI. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 318 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 93 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमे से सभी 93 पंचायतो को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा 89 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें से मात्र 42 में ही व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 22 पंचायतो में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। DPRO को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी से व्यय की स्वीकृति प्राप्त करते हुए अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XII. मुक्तिधाम, शवदाह–गृह, मृत्यु प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में 318 पंचायतो के विरूद्ध कुल 124 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का पुनः सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

लगातार.....

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से जिला परिषद में 01, पंचायत समिति में 28 एवं ग्राम पंचायत में 95 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XIII. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगतिः–

(क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	16.47%
02	पंचायत समिति	45.59%
03	ग्राम पंचायत	69.02%

छपरा एवं नगरा प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

(ख) यह भी पाया गया है कि सारण जिले के लगभग सभी प्रखंडो के ग्राम पंचायतों में Availble Balance के विरूद्ध Balance Liabilities बहुत अधिक है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। प्रतीत होता है कि राशि अनुपलब्धता के उपरांत भी योजनाएं संचालित है।

(ग) गरखा एवं रिविलगंज प्रखंड में 02–02 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में शून्य राशि का व्यय किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

(घ) पिछले 05 वर्षो में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 1568 के विरूद्ध 107, पंचायत समिति में 2612 के विरूद्ध 01 एवं ग्राम पंचायत में 15777 के विरूद्ध 208 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(ड़) 15 लाख से उपर जिला परिषद में 01 Scheme ऐसी है, जिसका विभागीय क्रियान्वयन कराया गया है, जो विभागीय दिशा–निर्देश का उल्लंघन है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. छपरा एवं नगरा प्रखंड के BDO से DDC को कारण–पृच्छा करने का निदेश दिया।
2. DDC एवं DPRO सारण जिले के पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों द्वारा ली गयी योजनाओ की गहन समीक्षा कर एक सप्ताह के भीतर संयुक्त प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन योजनाओं मे राशि उपलब्ध नहीं है, उन योजनाओ को Abandoned करें।

लगातार.....

3. BPRO शून्य व्यय वाले पंचायतो के पंचायत सचिव कि विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु DPRO को प्रतिवेदित करें।

4. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

5. DDC एवं DPRO जिला परिषद में विभागीय क्रियान्वयन किये गये 15 लाख रुपये से ऊपर योजनाओं की जांच कर दोषियो पर कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XIV. षष्ठम राज्य वित्त–ePanchayat Bihar Portal में ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थितिः–

(क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

षष्ठम राज्य वित्त आयोग	
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	**व्यय प्रतिशत**
जिला परिषद्	21.78%
पंचायत समिति	32.39%
ग्राम पंचायत	27.83%

छपरा एवं ईशुपुर प्रखंडो के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि काफी कम है।

(ख) दरियापुर प्रखंड में 09, गरखा एवं मांझी प्रखंड में 07–07, अमनौर एवं छपरा प्रखंड में 06–06, बनियापुर प्रखंड में 05, ईशुपुर, मकेर, मरहौरा एवं परसा प्रखंड में 04–04, दिघवारा एवं रिविलगंज प्रखंड में 03–03, जलालपुर, मशरख एवं सोनपुर प्रखंड में 02–02, एकमा, लहलादपुर एवं नगरा प्रखंडो में 01–01 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

गरखा प्रखंड के बाजितपुर पंचायत में 74.09 लाख रूपये का होने के बावजूद भी इस वित्तीय वर्ष में शून्य राशि का व्यय किया गया है। पृच्छा करने पर BPRO ने बताया कि मुखिया द्वारा विभागीय कार्यो में अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न किया जाता है।

(ग) पिछले 05 वर्षो में पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 590 के विरूद्ध 01, पंचायत समिति में 979 के विरूद्ध 15 एवं ग्राम पंचायत में 4864 के विरूद्ध मात्र 42 योजना ही पूर्ण की गयी है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. छपरा एवं ईशुपुर प्रखंडो के BDO से DDC कारण–पृच्छा करें।

2. BPRO शून्य व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।

लगातार.....

DPRO बाजितपुर पंचायत के मुखिया पर पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18(5) के तहत कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XV. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ चरण मे अद्यतन स्थिति तक सारण जिले में 11130 लक्ष्य के विरूद्ध 9512 लाईटो का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। एजेंसी के प्रतिनिधि ने बताया कि 5–6 प्रखंडो में संबंधित मुखिया द्वारा लाईटो के अधिष्ठापन में बाधा उत्पन्न किया जाता है।

साथ ही CMS पर 72 घंटों से अधिक सिग्नल लॉस एवं फॉल्टी लाईटो की संख्या क्रमशः 1223 एवं 32 है।

(ख) चतुर्थ चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एजेंसी द्वारा Bill Submit करने के उपरांत भी कुल 03 प्रखंडों में एजेंसी का शून्य राशि का भुगतान किया गया है। साथ ही बनियापुर, मरहौरा एवं अमनौर प्रखंडो में भुगतान का प्रतिशत काफी कम है।

CMS App के माध्यम से प्राप्त शिकायत के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 51 मामलो के विरूद्ध 28 का निष्पादन हो चुका है।

(ग) दिनांक– 01.01.2026 से 12.10.2026 तक पंचायत सचिवो के द्वारा किये गये Inspection के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल 90% सोलर लाईट ON पाई गयी है, जिसमें से बनियापुर एवं लहलादपुर प्रखंड में ON पाई गई लाइटो का प्रतिशत कम है।

यह भी पाया गया कि कुल 20 प्रखंडो में से मात्र 11 प्रखंडो के BPRO के द्वारा ही सोलर लाईट का निरीक्षण किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. DPRO संबंधित मुखिया एवं एजेंसी से समन्वय कर दो सप्ताह के अंदर दिनो के अंदर 100% लाईट का अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करें। एकरारनामा की शर्त्तों के अनुसार फॉल्टी, सिग्नल लॉस लाईट का 72 घंटे के अंदर निराकरण सुनिश्चित करायें।

2. पंचायत स्तर पर भुगतान कराने की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की है। यदि एजेंसी द्वारा विधिवत Bill Submit किया गया है तो सत्यापन एवं JICR पूर्ण कर अभियान चलाकर 15 दिनों के अंदर 100% भुगतान करना सुनिश्चित करें।

3. पंचायत सचिव के द्वारा बनियापुर एवं लहलादपुर प्रखंड के Inspection में OFF पाई गयी लाईटों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

लगातार.....

अमनौर, दिघवारा, ईशुपुर, मकेर, मरहौरा, नगरा, पानापुर, रिविलगंज एवं तरैया प्रखंडों के BPRO से इस संबंध में विभाग स्तर से स्पष्टीकरण किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रशाखा–03)

XVI. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला स्तर पर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–9164 दिनांक– 17.08.2023 द्वारा निरीक्षण से संबंधित दिशा–निर्देश संसूचित है। निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में DDC, DPRO एवं सभी BPRO पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण कर संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XVII. लंबित न्यायिक वाद :–

सारण जिले में 13 CWJC एवं 01 MJC लंबित है। निदेश दिया गया कि MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रशाखा–9)

XVIII. e- GRAM KACHAHARI :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखंड स्तर पर प्रति ग्राम पंचायत पंजीकृत एवं निष्पादित मामलों की संख्या काफी कम है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में शून्य पंजीकृत एवं निष्पादित ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है, उन ग्राम कचहरियों के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालनः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XIX. विधान सभा/परिषद–

सारण जिले में कुल 37 प्रश्न लंबित है। निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर सभी प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रशाखा)

XX. उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बिहार के 2052 पंचायतों में Computer System उपलब्ध कराया गया है। सारण जिले में भी 57 पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी Computer System की सही तरीके से जाँच कर Inspection Report यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

22/10/26

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/15221**/पं०रा० पटना, दिनांक**27/10/**2026**
प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, सारण/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सारण /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/15221**/पं०रा० पटना, दिनांक**27/10/**2026**
प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/15221**/पं०रा० पटना, दिनांक**27/10/**2026**
प्रतिलिपिः–आई०टी०मैनेजर, पंचायती राज विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/10/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी